



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591]  
No. 591]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2008/वैशाख 10, 1930  
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2008/VAISAKHA 10, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

तालिका

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2008

का.आ. 1057(अ).—यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन आफ तमिलनाडु राज्य में इलान्धाईकुलम गाँव, मदुरै 1, मदुरै नोर्थ तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपरचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त इलान्धाईकुलम गाँव, मदुरै 1, मदुरै नोर्थ तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास एवं प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 30 जुलाई, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा तमिलनाडु राज्य में इलान्धाईकुलम गाँव, मदुरै 1, मदुरै नोर्थ तालुक, मदुरै जिला में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :-

क्र. सं.	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	1/2	1.30.5
2.	1/3	4.55.5
3.	1/19	1.30.0
4.	1/20	1.25.0
5.	4/1	0.40.5
6.	2/1	0.49.5
7.	2/2	0.90.5
8.	4/2	1.17.5
9.	5	0.31.5
योग		11.70.5

[सं. फा. 1/55/2007-एसईजेड]  
अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2008

S.O. 1057(E).—Whereas, M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Ilandhaikulam village, Madurai I, Madurai North Taluk, Madurai District in the State of Tamil Nadu.

And, whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development and operation of the sector specific Special Economic Zone for Information Technology and information technology enabled services at the said area of Ilandhaikulam village on 26th July, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Ilandhaikulam village, Madurai I, Madurai North Taluk, Madurai District, in the State of Tamil Nadu, comprising of the Survey numbers and the area given in the Table below, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Survey Numbers	Area (in Hectares)
1.	1/2	1.30.5
2.	1/3	4.55.5
3.	1/19	1.30.0
4.	1/20	1.25.0
5.	4/1	0.40.5
6.	2/1	0.49.5
7.	2/2	0.90.5
8.	4/2	1.17.5
9.	5	0.31.5
Total		11.70.5

[No. F. 1/55/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2008

का.आ. 1058(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि. द्वारा इलान्धाईकुलम गाँव, मदुरै 1, मदुरै नोर्थ तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :-

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त   | —अध्यक्ष, पदेन |
| 2. निदेशक/उपसचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा | —सदस्य, पदेन   |

- |  |                  |
|--|------------------|
| 3. क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, चेन्नई   | —सदस्य, पदेन     |
| 4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | —सदस्य, पदेन     |
| 5. एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा   | —सदस्य, पदेन     |
| 6. निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार  | —सदस्य, पदेन     |
| 7. तमिलनाडु सरकार द्वारा नामित 2 पदाधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा   | —सदस्य, पदेन     |
| 8. मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि. (विकासकर्ता) का प्रतिनिधि  | —विशेष आमंत्रिती |

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. फा. 1/55/2007-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2008

S.O. 1058(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Information Technology/Information Technology Enabled Services Special Economic Zone at Ilandhaikulam village, Madurai I, Madurai North Taluk, Madurai District, Tamil Nadu developed by M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Development Commissioner of the Special Economic Zone  | —Chairperson, ex-officio |
| 2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India | —Member ex-officio       |
| 3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Chennai   | —Member ex-officio       |
| 4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner                                   | —Member ex-officio       |

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of joint Commissioner | —Member<br>ex-officio |
| 6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India  | —Member<br>ex-officio |
| 7. Director, Tamil Nadu Industrial Guidance and Export Promotion Bureau, Government of Tamil Nadu  | —Member<br>ex-officio |
| 8. Secretary (Industries), Government of Tamil Nadu  | —Member<br>ex-officio |
| 9. Representative of M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited (Developer)  | —Special<br>Invitee   |

[No. F. 1/55/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2008

का.आ. 1059(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, दिनांक 30 अप्रैल,

2008 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिससे तमिलनाडु राज्य में इला-धाईकुलम गाँव, मदुरै 1, मदुरै नोर्थ तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में मै. इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि. द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के लिए एसईजेड को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[सं. फा. 1/55/2007-एसईजेड]  
अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2008

**S.O. 1059(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby appoints 30th day of April, 2008 as the date from which the information technology/information technology enabled services Special Economic Zone at Ilandhaikulam village, Madurai I, Madurai North Taluk, Madurai District, Tamil Nadu by M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962.

[No. F. 1/55/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.